न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

चुनाव वाद सं0–02 सन् 2021

अरूण कुमार सिंह..........................वादी।

बनाम

नरोत्तम कुमार सिंह व अन्य...........................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 01.04.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 06 नियम 17 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 21.02.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद टंकक की गलती के कारण अर्जीदावी में कुछ शब्द गलत मुन्दर्ज हो गया है जिसको सुधार करना न्याय के लिए जरूरी हो गया है। मरम्मती फॉरमल नेचर का है जिससे अर्जीदावी का स्वरूप नहीं बदलता है इसलिए यह आवेदन को स्वीकार करने में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी के द्वारा दाखिल मरम्मती सवाल को स्वीकार करने की कृपा करे।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी की ओर से दिनांक 21.02.2023 को आवेदन दाखिल कर अर्जीदावी में संशोधन हेतु दाखिल किया गया है। वादी ने आवेदन में कथन किया है कि सिडियुल नं0 02 पेज नं0–8, पंक्ति नं0 09 में प्रथम मतदाता सूची लिखा हुआ है जिसमें प्रथम वो द्वितीय शब्द को काट देना है। वादी की ओर से उक्त दाखिल संशोधन सामान्य प्रकृति की है जिससे वादपत्र के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वादी की ओर से उक्त संशोधन आवेदन शपथ पत्र के साथ समर्थित है। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 21.02.2023 को 500/–रूपये खर्चा के साथ न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत (बिहार सरकार) में जमा करें।

वाद दिनांक ....को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।